3-9-12

5-10-12

9-12-12

25/10/12 वादी के प्रार्थना पत्र पर पंचायती कार्यालय से तलब की गई पंचायती का अवलोकन किया गया पंचायती में राजस्व मामला राज० अजमेर को इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29-2-2012 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई थी जिसे प्रार्थिया ने स्वयं वापस राजस्व मामला ही दाखिल कर लिया गया।

प्रकरण में अब वादी अपने वाद को मुख्य डमी पिच्छीत में स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना की गई है पंचायती अभी प्रचलन के तहत कार्य ही किया जा रहा है से स्थिति में प्रार्थना पत्र वादी [illegible] वाद स्थानांतरण [illegible] पंचायती [illegible] अधिकार है।

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर
(फास्ट्रेक)
नगर (भरतपुर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 15:54:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner